न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—210/2021/225 आर.टी.एक्ट (2021/210)

1. श्री मंगला पुत्र श्री हालू जाति रावत
2. श्री नानू पुत्र श्री हालू जाति रावत
3. श्री भगवान पुत्र श्री मोती जाति रावत

समस्त निवासीगण— ग्राम सवाईपुरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्री केसार पुत्र श्री नोला (मृतक)
   1/1 श्रीमती सोहनी देवी पत्नि स्व0 श्री केसार
   1/2 श्री नेम सिंह पुत्र स्व0 श्री केसार
   1/3 श्री रोवा सिंह पुत्र स्व0 श्री केसार
   1/4 श्रीमति शारदा पुत्री स्व0 श्री केसार
   1/5 श्रीमती सम्पति देवी पुत्री स्व0 श्री केसार
   जाति रावत, निवासी—ग्राम सवाईपुरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.09.2021 राजस्व वाद संख्या 32/2021

उपस्थितः—

1. श्री एन.एस.राजावत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री एन.के.जैन, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 2

निर्णय

दिनांकः— 16.11.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के द्वारा प्रकरण संख्या 32/2021 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट /प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्थान सरकार को पक्षकार संयोजित करते हुए, उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के समक्ष इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया, प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 01 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वर्तमान खसरा नम्बर 510/787, 506/788 के साथ 511 से 507 खसरा नम्बर तक 15 फीट चौडा रास्ता दिऐ जाने की अपने आदेश दिनांक 23.02.2021 द्वारा गैरकानूनी आज्ञा पारित कर दी। जिससे विधि विरूद्ध एवं गैरकानूनी आदेश दिनांक 23.02.2021 द्वारा गैर कानूनी आदेश दिनांक 23.02.2021 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी0पी0सी दिनांक 10.03.2021 प्रस्तुत किया जिसे अपने आदेश दिनांक द्वारा 15.

09.2021 द्वारा निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 32/2021 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा जमाबंदी मिलान क्षेत्रफल नामांतकरण संख्या 204 दिनांक 1.8.1984 पर आदेश क्रमांक 1091–1092 दिनांक 9.2.1983 उपखण्ड अधिकारी अजमेर प्रस्तुत कर ग्राम रावाईपुरा के वर्तमान खसरा नम्बर 965 रकबा 02–15–00 बीघा भूमि, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 507, 508 एवं 509 कायम किए गए हैं। अन्य भूमियों के साथ ग्राम पंचायत ममतानपुरा को हस्तांतरित आबादी भूमि होना एवं मकानात निर्मित होकर मानव निवास विद्यमान होना प्रमाणित किया गया, जो तथ्य पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट जिसे अपने पत्र क्रमांक/795 दिनांक 12.2.2021 के माध्यम से तहसीलदार पीसांगन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई, में भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा वर्तमान खसरा नम्बर 507, 508 एवं 509 में से रास्ता हेतु ना तो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तथा ना ही राजस्व एजेंसी द्वारा मकानात निर्मित होने के कारण रास्ता दिए जाने की अनुशंसा की गई, इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 01 को अनुचित लाभ पहुंचाने जाने के आशय से आदेश दिनांक 23.2.2021 पारित किया गया, जो आदेश 06 नियम 01 व 02 सी0पी0सी0 में प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किए जाने योग्य था, परंतु उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा आदेश दिनांक 15.09.2021 पारित किया गया जो निरस्त योग्य है। धारा 251 ए राज0काश्त0अधि0 1955 एवं इस हेतु सरकारी नियम 1955 के नियम 68 से 70 के तहत प्रस्तुत मौका रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक से निम्न अधिकारी द्वारा तैयार नहीं किए जाने के संबंध में वृहद् पीठ द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, तथा उसके आधार पर माननीय अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पत्र क्रमांक 10546 व 10547 दिनांक 5.10.2020 सभी जिला कलक्टर्स को प्रेषित कर आदेशित किया गया है साथ ही मौका रिपोर्ट प्रभावित पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार किए जाने हेतु आदेशित किया, परंतु प्रकरण में ना तो पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई तथा ना ही तहसीलदार पीसांगन द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, अपितु पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट तैयार कर भू–अभिलेख निरीक्षक के काउन्टर हस्ताक्षर करवाए जाने के पश्चात तहसीलदार पीसांगन द्वारा अपने पत्र क्रमांक/795 दिनांक 12.2.2021 से अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत हुई है, जिसको आधार बनाकर पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिए बिना आदेश दिनांक 23.2.2021 पारित किया गया। धारा 251ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात अंतिम निर्णय की पालना में डी0एल0सी0 दर की दो गुना राशि राजकोष में जमा करवाए जाने का प्रावधान है, जबकि उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 01 के पक्ष में अंतिम आदेश दिनांक 23.2.2021 रास्ता दिए जाने हेतु पारित किया गया, तथा राशि जमा करवाए जाने का आदेश तहसीलदार पीसांगन, के पत्र क्रमांक/टी0आर0ए/202/587 दिनांक 4.2.2020 को ही पारित कर दिए जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पत्र क्रमांक/20/280 दिनांक 16.9.2020 से तहसीलदार पीसांगन को रास्ते के संबंध में

विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रेषित किया इससे पूर्णतया प्रमाणित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लाभ पहुंचाने के आशय से आदेश दिनांक 15.9.2021 पारित किया गया। अपीलांट द्वारा मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 10.3.2021 अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 एवं पश्चातवर्ती प्रार्थना पत्र दिनांक 27.08.2021 अंतर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 में उल्लेखित विधिक आधारों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का किसी भी रूप में विवेचन व विशलेषण नहीं किया गया, तथा ना ही निर्णित किया गया, इस प्रकार आदेश दिनांक 15.09.2021 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.09.2021 को निरस्त किए जाने व प्रार्थीगण/अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार फरमाते हुए मूल प्रार्थना पत्र संख्या 25/2020 में पारित आदेश दिनांक 23.02.2021 को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9नियम 13 जा.दी. के प्रस्तुतकर्ता/प्रार्थीगण वर्तमान अपीलांट मूल प्रकरण संख्या 25/2020 अन्तर्गत धारा 251 क राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 में पक्षकार नहीं थे.क्योंकि उक्त आराजी सरकारी राजस्व के खाता संख्या 01 की सरकार भूमि है जिसके आधार पर प्रकरण में प्रार्थीगण पक्षकार नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध था। आदेश 09 नियम 13 जा.दी. के प्रावधान अनुसार प्रतिवादी ही उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है किन्तु मूल प्रकरण संख्या 25/20220 में न तो प्रार्थीगण प्रतिवादी/पक्षकार थे तथा ना ही उक्त सरकार रास्ते की आराजी से प्रार्थीगण को कोई हक सरोकार था व ना है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, पीसांगन की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2021 के अनुसार उक्त खसरा खाली था राजकीय था इसलिए किसी अन्य पक्षकार का हित प्रभावित नहीं होने से पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रार्थी केसर का दिनांक 12.02.2021 को उक्त खसरो पर जिन में से रास्ता कायम किया गया है किसी प्रकार का कब्जा नहीं था। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. को विधि सम्मत खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की दिनांक 10.10.2022 में सुनवाई की गई। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष को सुने 30 दिवस से अधिक हो चुके है। जाप्ता दीवानी के आदेश 20 नियम 01 के तहत् अभिभाषक उभयपक्ष को सूचित किया गया कि निर्धारित समय सीमा 30 दिवस में निर्णय समयाभाव के कारण नहीं लिखाया गया तथा पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 16.11.2022 हेतु नियत की गई है। तत्पश्चात प्रकरण में गुणावगुण पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 9.2.1983 ग्राम सवाईपुरा के साबिक हाल खसरा नम्बर अन्य भूमियों के साथ ग्राम पंचायत को हस्तांतरित भूमि है एवं वादग्रस्त आराजी पर मकान बना होना प्रमाणित है। जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्ध है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी हाल खसरा नम्बर 507, 508, 509 से रास्ते की मांग नहीं की गई है। उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन ने 251 ए

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो आदेश 06 नियम 01 व 02 सी0पी0सी0 में प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि अपीलांट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पर आदेश पारित कर अंतिम निर्णय पारित करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगवाई गई मौका रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई थी। प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करने से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 की पालना करते हुए मौका रिपोर्ट सभी पक्षकरों की उपस्थिति में मंगवानी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर नहीं देकर आदेश पारित किया उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेश दिनांक 15.9.2021 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन को इस आश्य से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वे प्रकरण में धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 के प्रावधानों की पालना करते हुए 251 ए प्रार्थना पत्र में सभी पक्षकारों को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः मौके की सभी पक्षकरों की उपस्थिति में वैकल्पिक मार्ग को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रावधानों के अनुसार मौका रिपोर्ट तलब कर यदि मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्राप्त होती है तो मौका रिपोर्ट आपत्ति का निरस्तारण कर विधि सम्मत आदेश पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 32/2021 (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी.) में पारित आदेश दिनांक 15.09.2021 को निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के द्वारा पारित प्रकरण संख्या 25/2020 में पारित आदेश 23.10.2021 (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम)को भी निरस्त कर, प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में सभी पक्षकारों को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पेश प्रार्थना पत्रों का उभयपक्षों की उपस्थिति में निस्तारण कर धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 के प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः मौके की सभी पक्षकारान की उपस्थिति में वैकल्पिक मार्गों को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रावधानों के अनुसार मौका रिपोर्ट तलब कर यदि मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्राप्त होती है तो मौका रिपोर्ट आपत्ति का निस्तारण कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें। उभयपक्षकारान को उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के न्यायालय में दिनांक 12.12.2022 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 16.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर